

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1968/कार्तिक 24, 1890

No. 431] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1968/KARTIKA 24, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November 1968

S.O. 4098.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Southern Gujarat Oilseeds Merchants' Association Ltd., Kapasia Hall, Palej, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of two years from the 16th November, 1968 upto the 15th November, 1970, (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(14)-CG/68.]

M. K. KOCHAR, Jt. Secy

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1968

एस० नो० 4099.—केन्द्रीय सरकार दक्षिण गुजरात तिलहन व्यापारी संगम लिमिटेड कपासिया हाल, पालेज, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन, मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संगम को, विनोनों में अग्रिम संविदाओं के बारे में 16 नवम्बर, 1968 से 15 नवम्बर, 1970 तक (जिनके अन्तर्गत यह दोनों दिन भी आते हैं) दो वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता अनुवृत्त करती है ।

2. एतद् द्वारा अनुवृत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त संगम ऐसे निदेशों का पालन करेगा जैसे कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।

[सं० फा० 12(14)—सी जी/68]

ह०, क० कोचर, संयुक्त सचिव ।